अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

ग्राम पंचायत स्वरूपसर बनाम नगसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 223 आरटीए   नम्बर 49/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.17	अभिभाषक अपीलांट श्री सीताराम बिश्नोई उपस्थित। अपील बाद जॉच, रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। उत्तरवादीगण को समन जारी हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर मिसल दिनांक 27–09–2017 को पेश हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश दिये जाते है कि अपील में नियत आगामी दिनांक 27–09–2017 तक विवादित आराजी वाके रोही स्वरूपसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 275 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 2.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 13.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 2431/2308 रकबा 0.54 हेक्टर कुल रकबा 17.69 हेक्टर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। उत्तरवादीगण को समन जारी हो कि उन्हें कोई आपत्ति हो तो आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर व्यक्त करें।	
11-9-17	पत्रावली अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट से 1.9.2012 को प्रा.पत्र पर पेश हुई अभिभाषक रेस्पोंडेंट से 1.9.2012 [illegible] प्रा.पत्र औचित्य सुनवाई का पेश किया जिसके साथ जवाब स्थगन प्रा.पत्र, जवाब [illegible] व 96 CPC पेश किया जिसकी नकलें अभिभाषक अपीलार्थी को दी गई। पत्रावली वादी बहस व बहस स्थगन प्रा.पत्र, [illegible] व 96 CPC [illegible] 17-9-17 को पेश हो।	

19-11-17 अभिभावक अपीलार्थी व अभिभावक उत्तरवादी सं 1, 9 ता 12 उपस्थित। अभिभावक अपीलार्थी ने प्रा०पत्र पेश किया कि अपीलार्थी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है इसलिए वाद हेतु स्थगन किया जावे स्वीकार हो स्थगन किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक 3-1-18 को पेश हो समक्ष आदेश की प्रतिलिपि आवंटी बाहरी जाती है

7-10-17 पत्रावली पूर्व
अभिभावक अपीलार्थी व अभिभावक उत्तरवादी सं 1, 9 ता 12 उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 7-10-17 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी मीटिंग में भाग लेने हेतु अजमेर पधारे हुए हैं।
3/10/17

1-11-17 अभिभावक अपीलार्थी व अभिभावक उत्तरवादी सं 1, 9 ता 12 उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19-11-17 को पेश हो।

9-10-17 अभिभावक अपीलार्थी व अभिभावक उत्तरवादी सं 1, 9 ता 12 उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1-11-17 को पेश हो

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश	
11.10.17	(A) **1.** अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक उत्तरवादी संख्या 1, 9 ता 12 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियांद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादगत् आराजी वाके रोही स्वरूपसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 275 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 2.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 13.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 2431/2308 रकबा 0.54 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 17.69 हेक्टर स्थित है। **2.** उक्त आराजी जैर में से 3.99 हेक्टर हिस्सा आबादी दर्ज है। चूंकि आराजी जैर में 3.99 हेक्टर आबादी दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत दावे में आवश्यक पक्षकार थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया जाकर एकतरफा तौर पर डिक्री पारित करवाई गई है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से शून्य है। **3.** चूंकि वादगत् आराजी जैर मुं 3.99 हेक्टर भूमि आबादी के रूप में दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार था लेकिन ग्राम पंचायत को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए बिना विभाजन करवा कर मौके पर स्थित आबादी भूमि को अपने हिस्से में दर्ज करवा लिया व आबादी भूमि को बैय किया जा रहा है। इसलिए अपीलांट के हित प्रभावित हुए है। **4.** अभिभाषक अपीलार्थी यह कहते हुए कि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने बहस मे समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 313, आरआरडी 2005(1) आरजे पेज 549 व आरआरडी 1975 पेज 21 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। **5.** अभिभाषक अपीलांट ने मियांद बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट को निर्णय	

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

करने के उद्वेश्य से निर्माण सामग्री डाली तो अपीलांट द्वारा मना करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 9 ता 12 द्वारा कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से विभाजन करवा लिया है तथा उक्त विभाजन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 12 को बैय कर दी गई है।

6. चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। मियांद का बिन्दु एक तकनीकी बिन्दु है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण गुणावगुण पर तय होना हो वहॉ मियांद के बिन्दु को वरियता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अतः अपील में देरी को कण्डोन करते हुए अपील अंदर मिंयाद शुमार की जावे। मियांद के संबंध में आरआरडी 2005 पार्ट II आरजे पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2010 पार्ट I आरजे पेज 174, व आरएलडब्ल्यू 2007 आरजे पार्ट प पेज 607 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट व अन्य सह खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। आराजी जैर 3.99 हेक्टर रिकार्ड में आबादी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आबादी भूमि हड़पेन की नियत से अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया। मौके पर तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये। पटवारी हल्का द्वारा विभाजान के प्रस्ताव अपीलांट को बिना सूचना दिये कब्जे के विपरीत तैयार किये गये है।

8. पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सड़क क दक्षिण की और आबादी होना अंकित किया गया है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जॉच नहीं की गई। आराजी जैर में राजस्व रिकार्ड में अंकित गैर मुमकिन सड़क की भमि को भी विभाजन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में प्रदान किया गया है जो विधि विरूद्व है।

9. अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा। जिससे अपूरणीय क्षति अपीलांट को होगी। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वे आबादी भूमि में दखंदाजी ना करें आराजी जैर के मौके की यथास्थिति कायम रखी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(B) I. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 9 ता 12 ने धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि पुराने खेत खसरा नम्बर 1018/559/5 तादादी 25 बीघा पर प्रारम्भ से ही उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा जिसे नये खसरा नम्बर 281, 282, 283, 284, 2431/2308 बने है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से इन्हीं नये खेत खसरा नम्बर को बंटवारें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिये है। जिसमें आबादी भूमि शामिल नहीं है। अपीलांट का यह कथन कतई स्वीकार नहीं है कि आबादी भूमि बंटवारें में दी गई है। अपीलांट वादगत् आराजी से कतई व्यथित नहीं है और ना ही दावे में आवश्यक पक्षकार था। अपीलांट टीनेन्ट की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि आबादी भूमि कृषि भूमि नहीं होती है। जब पंचायत खातेदार नहीं है तो दावे में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना कतई आवश्यक नहीं था।

II. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 9 ता12 ने मियांद के बिन्दु पर बताया कि अपीलांट द्वारा मात्र अपील में अन्दर मियांद लाने के उद्वेश्य से मियांद प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। वादगत् आराजी पर नगसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता12 का वास्तविक कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का से मिलने की भी गलत बयानी की गई है। पटवारी का कोई शपथ पत्र पत्रावली पर पेश नहीं है। अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

III. उन्होंने आगे अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आबादी भूमि का कोई हिस्सा बंटवारे में नहीं दिया गया है। बंटवारे में आबादी भूमि शामिल नहीं है। ग्राम पंचायम को मामले में पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नहीं था क्योंकि वह टीनेन्ट नहीं है।

IV. विभाजन प्रस्ताव में कोई एतराज सिर्फ को–टीनेन्ट ही ला सकता है। अपीलांट आराजी जैर मे को–टीनेन्ट नहीं है। इसलिए अपीलांट को एतराज लाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ववत जैसे आबादी रिकार्ड में दर्ज थी वैसे ही अभी भी दर्ज है। आबादी भूमि को बंटवारे में नहीं दी गई है। चूंकि अपीलांट टीनेन्ट नहीं है, अपीलाधीन आदेश में ग्राम पंचायत की भूमि गैर मुमकिन आबादी यथावत है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में बनता है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से अपील दायर की है, जिसका कतई अधिकार अपीलांट को नहीं है। अपीलांट का रेस्पोडेनट की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट को रोका गया तो अपूरणीय क्षति अपीलांट की होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील बहस के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज 808 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

(C) विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस, प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन व मनन किया गया।

a. यह निर्विवाद तथ्य है कि मातहत न्यायालय में विभाजन का वाद सह–खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका एकतरफा निर्णय वादी के पक्ष में विभाजन स्वीकार किया गया। जो अपील में प्रश्नास्पद व विचारणीय है।

b. उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 1018 / 559 / 5 संवत् 2049 तक प्रत्यर्थी के नाम दर्ज रही। जिसके बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर कमशः निम्नानुसार पैमुद हुए:

	रकबा	नये खसरा नम्बर	किस्म	रकबा
1018 / 559 / 5	17.69 है	275	बारानी	0.29 है
		281	गैमुसड़क	0.55 है
		282	बारानी	0.28 है
		283	गैमुसड़क	2.02 है
		284	बारानी आबादी	13.35 है
		285	बारानी	0.66 है
		2431 / 2308	बारानी	0.54 है
योग	17.69 है			17.69 है

c. उक्त विवरणानुसार खसरा नम्बर 284 बारानी आबादी का रकबा 13.35 हैक्टर का बड़ा रकबा नक्शें में दर्शित है।

d. प्रत्यर्थी की हिस्से की भूमि 25 बीघा (6.02) हैक्टर है। यह रिकार्ड, जमाबन्दी व पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है।

e. उक्त सभी रकबों में कुल किता 7 में मूल वाद में वादी एवं प्रतिवादी तथा आबादी सम्मिलित रूप से नगसिंह पुत्र सरदारसिंह कौम राजपुत साकिन सारूण्डा तहसील नोखा हि. 6.02 हैक्टर, चैनाराम पुत्र हीराराम जाति नायक हि. 0.595 हेक्टर, गोपालराम वल्द सुखाराम जाति गवारिया हि. 3.7305 हैक्टर, किसना, नारायण, मुका पि. हीराराम जाति नायक हि. 3.80 हेक्टर सा. देह खातेदार निवास स्थान (आबादी) हि. 3.99 हैक्टर आराजीराज हि. 0.09 हैक्टर खातेदार दर्ज है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पंचायत का हित आबादी दर्ज होने से दलील स्वीकार योग्य है।

g. अपीलार्थी अधिवक्ता का यह कथन व तथ्यों से हम सहमत है कि उनका ग्राम पंचायत की हैसियत से मूल वाद मे हित निहित था व उन्हें पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई की जानी अपरिहार्य थी।

h. चूंकि सम्पूर्ण विभाजन की डिक्री एकपक्षीय रूप से जारी हुई है लिहाजा मियांद बिन्दु पर उनका तर्क पोषणीय है। इसलिए मियांद बिन्दु पर सहमत होते हुए अपील मियांद अन्दर शुमार की जाती है।

i. साथ ही रिकॉर्ड व नक्शे के अवलोकन व जमाबन्दी के देखने से विदित होता है कि मौके पर भूमि आबादी के रूप में सेटअपार्ट की जाकर दर्ज नहीं है वरन् आराजीराज दर्ज है जिसे ब्रेकेट में आराजीराज(आबादी) दर्ज किया हुआ है। खसरा नम्बर 284 आराजीराज दर्ज है जिसमें कालांतर में मुकामी खातेदारान् ने रहवास, मकानात् निमार्ण कर लिये व आबादी स्पष्ट रूप से पृथक नहीं की गई। जबकि यह कार्य समय–समय पर पटवारी द्वारा/चकतरासी द्वारा चौसाला जमाबन्दी व राजस्व नक्शेजात् में सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो मामलें में प्रकट नहीं है, किन्तु चूंकि हाल में कुछ भूमि आबादी/आराजीराज राजस्व रिकार्ड दर्ज है। साथ ही खातेदार के मध्य विभाजन का वाद खातेदारी भूमि के लिए पोषणीय है व ग्राम पंचायत बतौर खातेदार हित निहित नहीं रखती है, किन्तु वह आबादी भूमि पर अतिक्रमण से रक्षार्थ हित रखती है।

j. यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी खातेदार है एवं पटवारी रिपोर्टनुसार पुराने खसरा नम्बर से बने नये नम्बरान में रखरा नम्बर 281, 282, 283 मिन, 284 मिन, व 2431/2308 में कब्जे अनुसार पैमूद हुवा है।

k. आबादी का खसरा नम्बर 283 व 284 मूल रकबा एक बड़ा रकबा है जिसमें आबादी/आराजीराज के अतिरिक्त प्रत्यर्थी नगसिंह की भूमि भी 283 मिन 1.17 गैर मुमकिन सड़क तथा 284 मिन 3.38 बारानी स्थित है।

l. आबादी का मूल खसरा नम्बर 284 एक बड़ा रकबा है जिसमें वादी, प्रतिवादी एवं आबादी तीनों दर्ज है लिहाजा इसमें पंचायत का हित निहित है।

m. पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नक्शे में वादी प्रतिवादी एवं आबादी को को मिन 284 व मिन 283 के रूप में बताया गया है किन्तु मौके पर तरमीम करके नहीं दर्शाया गया है।

n. उक्त खसरा नम्बर के बीच में सड़क भी गुजरती है जिसके मिन 2247/283 तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 281 व 282 में भी सड़क के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मिन क्रमशः 2248 / 281 तथा 2232 / 282 है।

o. सड़क का भाग खसरा नम्बर 281 में 0.55 व 283 मिन में 1.17 हैक्टर, प्रत्यर्थी नगसिंह के हिस्से की भूमि में से गुजरता है जो गैर मुमकिन सड़क के रूप में दर्ज प्राथमिक डिक्री में बताया गया है, तथा शेष सड़क 283 मिन में 0.85 हैक्टर एवं 3.80 हैक्टर है। रकबा 282 मिन शेष प्रतिवादीगण तथा 284 मिन 3.99 हैक्टर आराजीराज / आबादी के नाम छोड़ दी गई।

p. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि उक्त विभाजन से कब्जे व मौके के अनुसार तो किया गया है परन्तु मूल रकबे के मिन नम्बर / नम्बरान् को तरमीम नहीं किया गया जिसके कारण विवाद फलित हुआ। साथ ही यह आबादी का खसरा नम्बर मूल रूप से 284 का है उसमें भी स्पष्ट रूप से आबादी दर्शित नहीं है। फलस्वरूप यह विभाजन पूर्ण व स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है।

q. ऐसी दशा में यह न्यायालय किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् कोई निर्देश देना उचित नहीं पाते है। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खातेदार के विरूद्व पोषणीय नहीं पाते हुए यह उचित समझती है कि मूल विचारणीय अपील को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाये कि मूल विभाजन के वाद में सभी संबंधित हितबद्व पक्षकारों को विधिवत रूप से सुना जाकर कब्जे व मौके के अनुसार विभाजन आंशिक रूप से करने के बजाय पूर्ण रूप में किया जावे तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ मिन नम्बर डाले जाकर मौके पर तरमीम विधिनुसार किया जावे।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।